बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 147421 / पटना, दिनांक 07-05-2013

ग्रा0वि0-3/प्रसार पदा0-2-11/2010

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, (भा0प्र0से0)

आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार ।

विषय:- **बिहार प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य), बिहार महिला प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा से विमुक्ति के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं बिहार महिला प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली- 2008 में संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान है ।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या- 4368 दिनांक- 28.8.2009 में सरकारी सेवकों जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उन्हें विहित शर्तों के अधीन आवेदन करने की तिथि से विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है ।

अनुरोध है कि दिनांक- 31.7.2012 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं महिला प्रसार पदाधिकारी, जो विभागीय परीक्षा से विमुक्ति चाहते है एवं इस हेतु निर्धारित योग्यता रखते हैं, उनसे प्राप्त आवेदन आरोप आदि की स्थिति स्पष्ट करते हुए सेवापुस्ति की अद्यतन अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं अद्यतन गोपनीय चारित्रीक अभियुक्ति के साथ अपनी अनुशंसा सहित दिनांक - 30.05.2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

इस पत्र की प्रति अपने जिला अन्तर्गत सभी प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) तथा महिला प्रसार पदाधिकारी को भी दी जाये ।

विश्वासभाजन

6/5/2013

(अरविन्द कुमार चौधरी)

आयुक्त, स्वरोजगार

ज्ञापांक 147421 / पटना, दिनांक 07-05-2013

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

6/5/2013

आयुक्त, स्वरोजगार

ज्ञापांक 147421 / पटना, दिनांक 07-05-2013

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/5/2013

आयुक्त, स्वरोजगार

3.5.13 आयुक्त स्वरोजगार